पत्र संख्या सू0को0सं0-22-88/19......347....../जे0, (लो0सू0)

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

नीलम कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
-सह-लोक सूचना पदाधिकारी

सेवा में,

1. **महाधिवक्ता,**
महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
2. **सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
बिहार।
3. **लोक सूचना पदाधिकारी,**
पटना, उच्च न्यायालय, पटना
4. **सदस्य सचिव,**
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकर, पटना।
5. **अधीक्षक,**
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना।

पटना दिनांक....10.07.19

विषयः- **राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटनरा में दायर वाद संख्या-'ए' 7489/2018 श्री ओम शंकर सिन्हा बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, तेघरा, बगूसराय/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, बघवाड़ा, बेगूसराय में पारित ओदश के अनुपालन के संबंध में।**

....

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित वाद में राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-03.05.2019 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रासंगिक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन
10/7/19
(नीलम कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
-सह-लोक सूचना पदाधिकारी

D:\Pushpa\Nilam Maidam\Suko Genral.Docx

राज्य सूचना आयोग

चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

दूरभाष- 2215713, 2235059, 2200412, 2200426 फैक्स--2235466

16 MAY 2019

5112 (1)

वाद सं०—A 7489/2018

श्री ओम शंकर सिन्हा

बनाम्

प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, बछवाड़ा, बेगूसराय

03.05.19 "अपीलार्थी उपस्थित। श्री सुरज कान्त, अंचल अधिकारी, बछवाड़ा, बेगूसराय–सह–लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित तथा उनके द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना। बीस वर्ष ज्यादा पुरानी होने के वजह से धारा 8 सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत देय नहीं है।

आवेदक ने प्रपत्र--क में दाखिल खारिज वाद सं० 786/82–83 के सम्पूर्ण अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति सूचना के रूप में मांगी है। लोक सूचना पदाधिकारी की आपत्ति धारा 8(3) सूचना का अधिकार अधिनियम की गलत व्याख्या पर आधारित है। **धारा 8(3) के अनुसार यदि कोई सूचना धारा 8(1) सूचना का अधिकार अधिनियम के किसी उपखण्ड के अन्तर्गत अदेय हो तो बीस वर्षो के उपरान्त उक्त सूचना (उपखण्ड क,ग एवं झ के अन्तर्गत अदेय सूचनाओं को छोड़कर) उपलब्ध करायी जायेगी।**

इस वाद में मांगी गयी सूचना धारा 8(1) के उपखण्ड 'क' ग' या झ के अन्तर्गत नहीं आता है अतएव देय है।

तद्नुसार लोक सूचना पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि आवेदक को वांछित सूचना प्रदान करते हुए अगली तिथि को प्रतिवेदन दें।

वाद की अगली सुनवाई की तिथि 10.07.19 को अप0 2.30 बजे निर्धारित की जाती है।

इस आदेश की प्रति प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार सरकार को इस आशय से प्रेषित कि धारा 8(3) सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्यक् व्याख्या से सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को अवगत करायें।"

ह0/–

(ओम प्रकाश)

राज्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक : 976/रा०सू०आ० पटना, दिनांक–14/5/2019

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी--सह--अंचलाधिकारी, बछवाड़ा, बेगूसराय/श्री ओम शंकर सिन्हा, पिता–स्व० हरिमोहन प्रसाद सिन्हा, ग्राम–गणपतौल, पो0+थाना+अंचल–मंसूरचक, जिला--बेगूसराय--851128 को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राम बालक ठाकुर)

प्रधान आप्त सचिव